

—:आदेश:—

राज्य में स्थापित समस्त औद्योगिक स्थापनों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों तथा दुकानों के प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित Ease of Doing Business योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न श्रम अधिनियमों तथा नियमावलियों के अंतर्गत संधारित्र की जाने वाली पंजिकाओं को कम्प्यूटरीकृत (digital Format) किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान निरीक्षक द्वारा माँगे जाने पर संबंधित पंजिका की प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी

पत्र संख्या: 4869 विविध/2020

दिनांक: 22/12/ 2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून;
2. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून;
3. संयुक्त श्रमायुक्त/समस्त उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड;
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड;
5. इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन, देहरादून/हरिद्वार/ऊधम सिंह नगर;
6. गॉर्ड फाईल।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।